जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आवेदन प्रक्रिया एवं नियम व शर्तों की आवेदन पुस्तिका

पिंकसिटी प्रेस एन्क्लेव योजना

(पत्रकार नगर, नायला स्कीम)

ग्राम-नायला, तहसील-जमवारामगढ़, जयपुर

767 भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन

क्र.सं.	योजना का नाम	जविप्रा जोन
1.	पिंकसिटी प्रेस एन्क्लेव (पत्रकार नगर, नायला स्कीम)	जोन-13

ऑनलाइन आवेदन की समयावधि (तिथि व समय)	:	**01.10.2023 को 01:00 PM से 03.10.2023 को 11:59 PM तक**
लॉटरी की तिथि	:	**05.10.2023**

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13

आवेदन करने से संबंधित विस्तृत जानकारी, जविप्रा की वेबसाइट **www.jda.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

पिंकसिटी प्रेस एन्कलेव

(पत्रकार नगर, नायला स्कीम)

ग्राम–नायला, तहसील–जमवारामगढ़, जयपुर

महत्वपूर्ण आकर्षण

- अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर से लगभग 28 कि.मी. दूरी।
- रिंग रोड से लगभग 9 कि.मी. दूरी।
- दिल्ली मुम्बई कोरिडोर सड़क की लिंक रोड़ बॉदीकुई–जयपुर सड़क से 3 कि.मी. दूरी।
- नेशनल हाईवे 21 से लगभग 8 कि.मी. दूरी।
- राजस्थान आवासन मण्डल की दस्तकार कॉलोनी के समीप।
- क्षेत्रीय कार्यालय सी.आर.पी.एफ. राजस्थान के समीप।
- योजना में सुविधा क्षेत्र व पार्क।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

पिंकसिटी प्रेस एन्कलेव

(पत्रकार नगर, नायला स्कीम)

ग्राम–नायला, तहसील–जमवारामगढ़, जयपुर

1. **प्रस्तावना :–**

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं को विकसित करने के क्रम में ग्राम–नायला, तहसील–जमवारामगढ़, में जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की 31.05 हैक्टेयर भूमि पर पत्रकारों की आवासीय समस्या के समाधान हेतु नई आवासीय योजना 'पिंक सिंटी प्रेस एन्क्लेव' नायला में सृजित की गयी है। उक्त योजना अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 28 कि.मी., रिंग रोड से 9 कि.मी., दिल्ली मुम्बई कोरिडोर सड़क की लिंक रोड़ बॉदीकुई–जयपुर सड़क से 3 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है। यह योजना राजस्थान आवासन मण्डल की दस्तकार कॉलोनी के एवं क्षेत्रीय कार्यालय सी.आर.पी.एफ. राजस्थान के समीप स्थित है। यह योजना ग्राम–कानोता से ग्राम–नायला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के पास स्थित है।

2. **भूखण्डों का विवरण :–**

भूखण्डों का उपयोग	क्षेत्रफल	भूखण्डों की संख्या
आवासीय	189.00 वर्गमीटर एवं कॉर्नर व अन्य भूखण्ड का मौका अनुसार क्षेत्रफल	767

3. आवेदन करने की प्रक्रिया :

3.1 भूखण्डों के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगें।

3.2 योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क रू. 200/– एवं पंजीकरण राशि रू. 10,000/– ऑनलाईन जमा करानी होगी।

3.3 आवेदन हेतु प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान - Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से ही किया जा सकेगा।

3.4 आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य हैं। आवेदन फार्म में अंकित मोबाईल नम्बर पर OTP Verification के उपरान्त ही आवेदन फार्म भरा जा सकेगा।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-1? जयपुर विकास प्राधिकरण

4. सामान्य शर्ते :–

4.1 **एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से अलग–अलग आवेदन करने पर, सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।**

4.2 ऑनलाईन आवेदन करते समय पंजीकरण राशि 10,000/– रूपये व प्रक्रिया शुल्क 200/– रूपये ऑनलाईन माध्यम से ही जमा करना होगा। लॉटरी द्वारा योजना में किसी भी क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन होने पर, आवंटी के लिए बाध्यकारी होगा।

4.3 राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी आदेश /नियम योजना के भूखण्ड आवंटन पर भी लागू होंगे।

4.4 सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अपरिहार्य कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो पाये तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड के पेटे जमा राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

4.5 जिस ऑनलाईन माध्यम से पंजीकरण राशि जमा हुई है उसी ऑनलाईन माध्यम से पंजीकरण राशि का रिफण्ड असफल आवेदकों को किया जावेगा।

4.6 आवेदन पत्र में भूखण्ड के लिए वार्षिक आय का आधार वर्ष–2022–23 रहेगा।

4.7 तकनीकी कारणों से Online आवेदन असफल होने की स्थिति में, पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर, यदि प्रथम बार किया गया आवेदन तकनीकी कारणों से आवेदन सफल हो जाता है, तो प्रथम आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित करते हुये द्वितीय एवं तृतीय बढ़ते हुए क्रम में सफल आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

4.8 लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर, नाम एवं आय में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र स्वेच्छा से निरस्त करवाने की स्थिति में पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि लौटाई जायेगी।

4.9 लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित सम्पूर्ण राशि आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में सम्पूर्ण राशि चालान/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा में जमा करानी होगी।

4.10 आवंटी आवंटित भूखण्ड का 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं कर सकता है।

4.11 भूखण्ड आवंटन में शहरी भूमि निस्तारण नियम–1974 के प्रावधान एवं समय–समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होगें।

4.12 आवंटित भूखण्ड केवल "आवासीय" उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। भूखण्ड का उप–विभाजन/पुनर्गठन प्रचलित "भवन विनियम" के प्रावधानानुसार मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

4.13 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।

4.14 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

4.15 ऑनलाइन आवेदन के साथ अग्रिम पंजीकरण राशि जमा करवाने मात्र से, प्राधिकरण इस योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतु किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

4.16 राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा, बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्तें बदलने पर आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

4.17 गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।

4.18 भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जायेंगे। भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीजडीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी। लीज डीड पंजीयन का खर्च भूखण्ड के आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।

4.19 भूखण्ड आवंटी को भूखण्ड आवंटन के दो साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। अगर आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जावेगा तथा आंवटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। इसके साथ ही उसके द्वारा जमा कराई गई राशि भी जब्त समझी जावेगी।

4.20 योजना में लॉटरी से आवंटित भूखण्डों की संख्या एवं क्षेत्रफल मौके पर उपलब्धता अनुसार परिवर्तनीय है एवं मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल अन्तिम रूप से आवंटी को मान्य होगा। लॉटरी से आवंटित कॉर्नर भूखण्डों में नियमानुसार टर्निंग रेडियस का क्षेत्रफल (4.5 वर्गमीटर) काटा जाएगा।

5. आरक्षित दर :–

योजना की वर्तमान आरक्षित दर 12,000/– रूपये प्रति वर्गमीटर है।

6. आवंटन हेतु पात्रता :–

6.1- आवेदक अधिस्वीकृत पत्रकार हो अथवा न्यूनतम पांच वर्ष से राजस्थान में सक्रिय पत्रकार के रूप में कार्यरत हो। (प्रशिक्षण काल शामिल नहीं) आवेदन के समय जयपुर में नियुक्त हो।

6.2- राष्ट्रीय समाचार पत्रों/संवाद समितियों/राष्ट्रीय पत्रिकाओं के जयपुर स्थित ब्यूरो प्रमुख/ब्यूरो में कार्यरत पत्रकारों के लिए सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

6.3- यह प्रमाणित करने के लिए कि वह पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार है, संबन्धित को अपने पत्र के संपादक द्वारा वर्तमान में पूर्णकालिक सवैतनिक पत्रकार होने के प्रमाण पत्र के साथ भविष्य निधि खाते की रसीदें तथा नियोक्ता द्वारा स्त्रोत पर काटे जाने वाले आयकर का प्रमाण पत्र या फार्म नं.16 या आयकर विभाग में भरे वार्षिक रिटर्न की प्रति देनी होगी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

6.4- श्रमजीवी पत्रकार जिसकी स्वयं की आजीविका पूर्णतः पत्रकारिता पर निर्भर हो तथा अधिकतम वार्षिक आय रूपये 20,00,000/– से अधिक ना हो।

6.5- किसी आवासीय भूखण्ड पर किसी तरह की कोई वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जाएगी।

6.6- आवंटी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि मे तय मापदण्डों के अनुसार आवास का निर्माण करना होगा।

6.7- एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को आवंटन किया जायेगा। परिवार का अर्थ पत्रकार, उसकी पत्नी/पति एवं अविवाहित–अवयस्क बच्चे है। वयस्क विवाहित बच्चों को परिवार की इस परिभाषा से अलग रखा जायेगा।

6.8- जो पत्रकार राज्य सरकार से आवंटित सरकारी/देवस्थान/अन्य किसी विभाग के मकान में रह रहे हो उन्हे भूमि आवंटन से दो वर्ष पश्चात सरकारी मकान खाली करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ उन्हें इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा।

6.9- जिन पत्रकारों ने पूर्व में राज्य सरकार/जेडीए/अन्य राजकीय संस्थान से रियायती दर पर भूखण्ड लेने का लाभ ले लिया है वे इस योजना में आवंटन के पात्र नहीं होगे।

6.10- विवाहित पुरूष आवंटियों के मामले में आवंटन पत्र में पत्नी का नाम भी अंकित किया जायेगा।

7. अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान/शर्तें:–

7.1 सफल आवेदकों की पात्रता की जॉच का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण की एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निदेशक (वित्त), अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), सम्बधित जोन उपायुक्त तथा जनसम्पर्क निदेशालय का एक मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित होगें।

7.2 पूर्व के समस्त आवेदन एवं लॉटरी को निरस्त करते हुए नये सिरे से नवीन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं।

7.3 प्रश्नगत योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 12,000/– है। वर्तमान आरक्षित दर के 30 प्रतिशत दर पर आवंटन किया जाना है।

7.4 राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(2) (F) में शिथिलता प्रदान करते हुए अधिस्वीकृत पत्रकारों के अतिरिक्त राजस्थान में 5 वर्ष से सक्रिय पत्रकार को भी पात्र माना जायेगा।

7.5 पत्रकारों हेतु सृजित इस योजना की विशिष्ट प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 8(2) व नियम 14 में शिथिलता प्रदान करते हुए पुनः आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया 100 प्रतिशत लॉटरी द्वारा की जावेगी। कार्नर के सम्पूर्ण भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से आवंटन ना कर भूखण्ड की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त कर लॉटरी में सफल आवंटी पत्रकार को आवंटन किया जायेगा।

7.6 राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(2) एवं नियम 17(4) के तहत EWS & LIG हेतु भूखण्ड आरक्षित किये जाने का प्रावधान है परन्तु पत्रकारों/मीडियाकर्मियो हेतु विशिष्ट रूप से स्कीम बनाई गई है। अतः प्रकरण की

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन 13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रकृति एवं विशेष आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये EWS & LIG हेतु भूखण्ड आरक्षित रखने का प्रावधान नहीं रखा गया है।

8. कीमत भुगतान प्रक्रिया

8.1 पंजीकरण राशि को समायोजित करने के पश्चात् शेष बकाया राशि का आवंटन सह मांग पत्र जोन–13 कार्यालय से जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में चालान/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से एक मुश्त राशि जमा करानी होगी।

8.2 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करायी जा सकती है किन्तु ब्याज आंवटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।

8.3 आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा ना होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

9. भूखण्ड की कीमत के अलावा अन्य जमा कराने योग्य राशि :

9.1 आवंटी को निर्धारित दर से वार्षिक शहरी जमाबन्दी (अरबन असेसमेंट) अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष 31 मार्च तक जमा करानी होगी। शहरी जमाबन्दी वर्तमान आरक्षित दर की 1.25 प्रतिशत प्रथम पाँच वर्ष के लिए एवं इसके बाद 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय है। यह राशि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल से पूर्व जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार ब्याज/शास्ति देय होगी। प्रथम वर्ष की शहरी जमाबन्दी की राशि अग्रिम जमा करानी होगी। इस राशि के प्रतिवर्ष भुगतान से मुक्त होने के लिये 2.50 प्रतिशत की दर से 8/10 वर्ष की एक मुश्त रकम अग्रिम जमा करानी होगी।

9.2 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती है, वह आवंटी पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।

9.3 स्थल मानचित्र के 100/– रूपये भूखण्ड की कीमत के साथ जमा कराने होगें।

10. जमा पंजीकरण राशि पर देय ब्याज

सफल आवेदकों की जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा किन्तु किसी कारणवश भूखण्ड उपलब्ध न कराने की स्थिति में लॉटरी दिनांक से 6 माह पश्चात राशि वापसी की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 6 माह तक कोई ब्याज राशि देय नही होगी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

11. भूखण्ड का लॉटरी से आवंटन

11.1 भूखण्डों का आवंटन ऑनलाईन लॉटरी (स्यूडो रेण्डम जनरेशन पद्धति) द्वारा किया जावेगा जो अन्तिम एवं मान्य होगा। सफल आवेदकों को आवंटित भूखण्ड की सूचना जविप्रा वेबसाईट पर उपलब्ध होगी ।

11.2 ऑनलाईन आवेदन के साथ पंजीकरण राशि जमा करवाने मात्र से प्राधिकरण योजना में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी भी प्रकार से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

12. आवेदक को निम्न दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक रूप से अपलोड करने होंगे :–

12.1 अधिस्वीकृत पत्रकार होने का प्रमाण पत्र

अथवा

संबधित संपादक/नियोक्ता द्वारा वर्तमान में पूर्णकालिक सवैतनिक पत्रकार होने का प्रमाण पत्र।

12.2 भविष्य निधि खाते की रसीद की प्रति (अधिस्वीकृत पत्रकार के मामले में लागू नहीं)

12.3 नियोक्ता द्वारा स्त्रोत पर काटे गये आयकर का प्रमाण पत्र या फार्म–16 या आयकर विभाग में जमा वार्षिक रिटर्न की प्रति।

12.4 संलग्न प्रारूप में 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र।

13. लॉटरी के सफल आवेदकों को लॉटरी पश्चात् एवं आवंटन से पूर्व आवेदन की पत्र की प्रति के साथ बिन्दु संख्या 12 में अंकित दस्तावेजात् की स्वःप्रमाणित प्रति व मूल शपथ–पत्र की प्रति संबंधित उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाने उपरान्त उनकी पात्रता की जॉच किए जाकर आवंटन संबंधित समस्त नियमों/शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित होने पर ही भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

14. माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पीआईएल) संख्या 10697/2013 उनवान सुनील कुमार हेड़ा बनाम राज्य में दिए गए निर्णय दिनांक 03.07.2013 के क्रम में इस योजना के भूखण्ड़ों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण से आवंटन की प्रक्रिया की समस्त कार्यवाही निरस्त की गई है। अब इस योजना के भूखण्ड़ो के आवंटन की समस्त कार्यवाही नवीन सिरे से प्रारम्भ की गयी है जो कि माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरण के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

शपथ पत्र

(50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... आयु .... निवासी .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि

(i) यह कि मैं अधिस्वीकृत पत्रकार हूँ जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक/वर्ष .... हैं।
अथवा न्यूनतम पांच वर्ष से राजस्थान में सक्रिय पत्रकार के रूप में कार्यरत हूँ। इस न्यूनतम अवधि में प्रशिक्षण काल शामिल नही है एवं आवेदन के समय जयपुर में नियुक्त हूँ, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	संस्थान का नाम	पद/कार्य का विवरण	अवधि (कब से कब तक)	कुल अवधि	विशेष विवरण

मैं वर्तमान में जयपुर में संस्थान .... में पद/कार्य का विवरण.............................. के रूप में दिनांक .... से .... आज दिनांक तक कार्यरत हूँ।

(ii) यह कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों/संवाद समितियों/राष्ट्रीय पत्रिकाओं के जयपुर स्थित ब्यूरो प्रमुख/ब्यूरों में कार्यरत पत्रकारों के संबंध में मैं सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखता/रखती हूँ।

(iii) यह कि मुझे पूर्व में राज्य सरकार/जयपुर विकास प्राधिकरण/अन्य राजकीय संस्थान से रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है।

(iv) यह कि मैं राज्य सरकार/देवस्थान विभाग/अन्य राजकीय विभाग .... के सरकारी आवास में निवासरत होने की स्थिति में भूमि आवंटन से दो वर्ष पश्चात् सरकारी आवास खाली कर दूँगा/दूँगी।

(v) यह कि मैं श्रमजीवी पत्रकार हूँ जिसकी स्वयं की आजीविका पूर्णतः पत्रकारिता पर निर्भर है तथा अधिकतम वार्षिक आय 20,00,000/– रूपये से अधिक नही है।

(vi) यह कि मेरे द्वारा ज.वि.प्रा. द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड पर किसी तरह की कोई वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जाएगी।

(vii) यह कि मैं भूखण्ड के आवंटन की दिनांक से अधिकतम दो वर्ष की अवधि मे तय मापदण्डों के अनुसार आवंटित भूखण्ड पर आवास का निर्माण करूगा/करूँगी।

(viii) यह कि आवंटन पुस्तिका को मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैंने पत्रकार श्रेणी में आवेदन किया है, जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ।

(ix) यह कि पात्रता की शर्तें पूरी नही करने पर मुझे आवंटित भूखण्ड को निरस्त करने के लिए ज.वि.प्रा. स्वतन्त्र रहेगा।

(x) यह कि मेरे परिवार में से मेरे अलावा किसी अन्य सदस्य ने इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है एवं मेरे परिवार के लिए मैं केवल एक ही भूखण्ड स्वीकार करूगां/करूगीं।

(xi) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 50 हजार से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण लीज होल्ड या फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड़ अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ, जिसका प्रमाण पत्र लॉटरी पश्चात् आवंटन से पूर्व प्रस्तुत करूंगा।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

हस्ताक्षर शपथ

घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पत्नि/पुत्री .... सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक .... को ली है।

हस्ताक्षर मय सील
प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यलय
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर